

निर्णय बईजलास सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़
मि0न0 05/अपील/20

तेजा वल्द हजारी उम्र 55 वर्ष जाति बंजारा नि0 पालियाखेड़ी तहसील पचपहाड़(अपीलान्ट)
बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पचपहाड़ (रेस्प0)

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 13.11.2019 न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़
मि0न0 1405/19

उपस्थित:- श्री आशीष गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :-

दिनांक: 12.02.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़ के आदेश दिनांक 13.11.2019 जो मिसल न0 1405/19 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम पालियाखेड़ी की आराजी ख0न0 231 रकवा 2.10 बीघा किस्म चरागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 175/-रु0 शास्ती तथा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना केप्रिसियस तथा परवर्स होने से अपास्त योग्य है, अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जबकि पटवारी ने अपीलान्ट की मौजूदगी में पेमाईश नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा पेनल्टी की राशि जमा करवादी गई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने पेनल्टी की राशि जमा करवादी है व आराजी पर से कब्जा भी छोड़ दिया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा अपीलार्थीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि प्रकरण में तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट भिजवाई गई है उक्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूमि खाली होना व कब्जा हटा लेने की रिपोर्ट अंकित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में 15 योम की अवधि में 20000/- रुपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेंगे और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगें। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वयं का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी, उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)

जिला कलक्टर
झालावाड़

झालावाड़